जनता पुछ रही सवाल?

1032 करोड़ की जीएसटी चोरी के मामले में मिराज ग्रुप के मदन पालीवाल और प्रकाश पुरोहित को क्यूँ गिरफ्तार नहीं कर रही जांच एजेंसियाँ?

आर्थिक अपराधियों के मामलो मे सामान्य अपराधियों के समान निर्णय नहीं दिये जा सकते,क्यूंकि आर्थिक अपराधी एक तरह से समानान्तर अर्थ व्यवस्था का संचालन करते है और यह राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को गंभीर खतरा है| .....*माननीय सर्वोच्च न्यायालय|*

देश के लिए... अव्यवस्था के खिलाफ...

जवाब दो!!! सरकार
www.jawabdosarkar.com
देश का पहला जवाबदेही पोर्टल

JAWAB DO SARKAR
www.jawabdosarkar.com
(A Digital Media Initiative to promote Accountability)

वॉल्यूम न.– 2021/kdgl/06 | E-Newsletter, Issued in Public Interest | शनिवार, 11 दिसम्बर 2021

मिराज ग्रुप और उसके तंबाकू डिस्ट्रीब्यूटरों पर विगत कुछ सालो मे जीएसटी और इन्कम टेक्स चोरी के मामलो मे कई छापे!

करोड़ो रुपयों की जीएसटी चोरी,बेनामी सम्पत्तियों,नकद लेन-देन का हिसाब-किताब जब्त होने के बावजूद मिराज ग्रुप के फ़ाउन्डर मदन पालीवाल और ग्रुप के सीएमडी प्रकाश चंद पुरोहित की आज तक गिरफ्तारी नहीं!!!

क्या मिराज ग्रुप के कर्ता-धर्ता आदतन आर्थिक अपराधी नहीं है?

मिराज ग्रुप के कर्ता-धर्ताओ और उनके नजदीकी रिश्तेदारों,मित्रो,के नाम दर्जनो शैल कंपनियाँ!!!

तंबाकू के काले धन का निवेश पाईप्स,सिनेमा, एफ़एमसीजी,रियल स्टेट,इंटरटेनमेंट,प्रिंटिंग,पेकेजिंग,रीटेल बिजनेस, होस्पिटेलिटी सहित कई सेक्टरो मे!!!

विशेष रिपोर्ट-2

काले धन पर धर्म और राजनीति का चोला!!!

राजस्थान की जनता कर रही सवाल??

कब होगी इन सफेदपोशों की गिरफ्तारी???

क्या सीबीआई,इन्कम टेक्स,डीजीजीआई और ईडी की संयुक्त टीम चलाएगी मिराज ग्रुप के काले कारनामो के विरुद्ध ऑपरेशन कर्क?

*भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत प्रकाशन एवं समस्त प्रकाशन IT Act 2000 के तहत उत्तरदायी सर्वाधिकार@www.jawabdosarkar.com

गुटखे का काला कारोबार|

एक अध्ययन के अनुसार भारत में जहां 29.6 फीसदी पुरुष तंबाकू का उपयोग करते हैं, वहीं तंबाकू सेवन करने वाली महिलाओं की संख्या 12.8 फीसदी है|यानि की हमारी जनसंख्या का 41.4% तंबाकू उत्पादो का उपयोग करता है,जिसमे सिगरेट,बीड़ी गुटखा,ज़र्दा आते है|तम्बाकू उत्पाद बाजार में बीड़ी का हिस्सा 48 प्रतिशत, खैनी पान मसाला का 38 और सिगरेट का 14 प्रतिशत है। भारत मे तंबाकू बहुत सस्ता है इस पर ज्यादा टेक्स भी नहीं है जिसके चलते इसका उपयोग करने वालों की संख्या सर्वाधिक है|इसी के चलते भारत मे तंबाकू उत्पादो का उत्पादन करने वाली कंपनियाँ भी बहुतायत से है|

भारत मे तंबाकू का धंधा करने वालों का अपना एक सिंडीकेट है इस सिंडीकेट मे बड़े-बड़े राजनेता,ब्यूरोक्रेट,मीडिया हाउस,हवाला कारोबारी,,व्यापारी,रियल स्टेट कारोबारी शामिल है,जो अपने रसूखातों के चलते काले धन की समानान्तर अर्थव्यवस्था को निरंतर पोषित कर रहे है|

तंबाकू,गुटखे के काम मे जीएसटी चोरी मे पेकिंग मेटेरियल सप्लायर,ट्रांसपोर्टर, उत्पादनकर्ता,सीएंडएफ़,डीलर,डिस्ट्रीब्यूटर,होलसेलर, से लेकर रिटेलर तक के हाथ काले|

देखा जाए तो तंबाकू,गुटखे से जुड़े अधिकांश कारोबारी जीएसटी की चोरी मे लिप्त रहते है वह चाहे पेकिंग मेटेरियल सप्लायर,ट्रांसपोर्टर,उत्पादनकर्ता,सीएंडएफ़,होलसेलर या रिटेलर ही क्यूँ ना हो|इतना ही नहीं तंबाकू,गुटखे के काले कारोबार ने अब संगठित रूप ले लिया है|ऐसे ग्रुपो मे उन्ही लोगो को शामिल किया जाता है और अपने साथ व्यापार करने की अनुमति दी जाती है जो टेक्स चोरी का काम करने को सहमत होते है|ईमानदार व्यापारी की इस सिंडीकेट मे कोई जगह नहीं होती|हाल ही मे जीएसटी की चोरी पकड़ने वाले विभाग डीजीजीआई(गुड्स एंड सर्विस टेक्स इंटीलिजेंस महानिदेशालय)द्वारा की गयी कार्यवाहियों मे सामने आया है कि तंबाकू,गुटखे से जुड़े बड़े ब्रांड भी करोड़ो रुपयों की जीएसटी चोरी मे लिप्त है|करोड़ो रुपयों की जीएसटी चोरी के खेल मे कंपनी पेकिंग मेटेरियल सप्लायर्स से किसी दूसरी जगह के नाम कटे पेकिंग मेटेरियल मँगवाती है,इन पेकिंग मेटेरियलों मे बिना हिसाब किताब वाला गुटखा,तंबाकू मशीनों से पैक करती है और बने माल को भी दो नंबर मे ट्रांसपोर्ट करके अपने सीएंडएफ़ तक पहुचा देती है|यह सीएंडएफ़ भी दो नंबर मे बिना जीएसटी भरे इस माल को होलसेलर और रिटेलर को बेच देता है|जबकि रिटेलर ग्राहक से जीएसटी वाले माल का ही पैसा वसूलता है|

देखने मे आया है कि गुटखे के धंधे मे अधिकांश पैसो का आदान प्रदान हवाला,शेल कंपनियो और अन्य दो नंबर के माध्यमों से किया जाता हैइस धंधे मे सौ रुपए में से केवल 20 रुपए का कारोबार ही नंबर एक में होता है। बाकी 80% कारोबार कच्चे में टैक्स चोरी होती है।

ऑपरेशन कर्क: गुटखा कारोबारियों पर कार्रवाई के बाद खुलासा

400 करोड़ की कर चोरी, मास्टरमाइंड ने प्रॉपर्टी और मीडिया में खपाया काला धन

- तीन आरोपी गिरफ्तार, 25 करोड़ की सामग्री और मशीनरी जब्त
- लॉकडाउन में प्रेस लिखे वाहन से हो रही थी गुटखा की तस्करी
- महाराष्ट्र और मध्यप्रदेश के ग्रामीण इलाकों में खपाया ज्यादातर माल

पत्रिका न्यूज़ नेटवर्क
patrika.com

इंदौर. शहर में पान मसाला और गुटखा कारोबारियों पर ऑपरेशन 'कर्क' के तहत कार्रवाई कर डायरेक्टर जनरल ऑफ गुड्स एंड सर्विस इंटेलीजेंस (डीजीजीआई) और डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्य इंटेलिजेंस (डीआरआई) ने 400 करोड़ से ज्यादा की कर चोरी पकड़ी। इंदौर के तीन समूहों ने 9 महीने में 225 करोड़ का जीएसटी चोरी किया। विभाग ने 14 दिन की कार्रवाई में करीब 25 करोड़ की सामग्री, मशीनरी और नकदी जब्त की। गुटखा तस्करी में स्थानीय कारोबारियों के साथ पाकिस्तानी नागरिक भी लिप्त मिला। कार्रवाई में विजय नायर, अशोक डागा और अमित बोदरा को गिरफ्तार किया गया। डीजीजीआई के अनुसार स्थानीय कारोबारी दो साल से पान मसाला की तस्करी मध्यप्रदेश और इसके आसपास के राज्यों में कर रहे हैं। लॉकडाउन पीरियड में भी इन्होंने प्रेस लिखे वाहन से मध्यप्रदेश और महाराष्ट्र के अंदरूनी क्षेत्र में गुटखे की तस्करी की। जांच में पता चला कि मास्टरमाइंड ने गुटखे की तस्करी से करोड़ों की अवैध कमाई रियल एस्टेट, हॉस्पिटैलिटी और मीडिया सेक्टर में 8 कंपनियां बनाकर खपाई है।

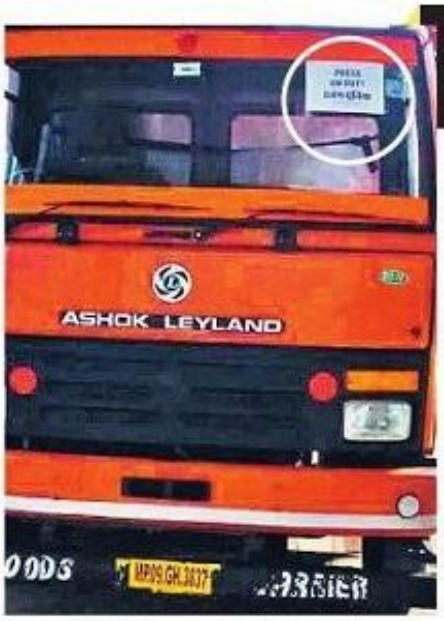

ऑन ड्यूटी प्रेस लिखे वाहन से हो रही थी गुटखे की तस्करी।

ऑपरेशन कर्क में जब्ती

- 12 दिन चले ऑपरेशन कर्क में 18.77 करोड़ का अवैध सामान और 2.92 करोड़ नकद जब्त हुए।
- 15 मशीनें जब्त की, जिनसे मीठी सुपारी का निर्माण होता था। इस पर 18 % जीएसटी जमा करना होता है।
- 1.74 करोड़ का गुटखा और 10 ट्रक जब्त किए।

3 डमी लोगों के सहारे जमाया काला कारोबार

गुटखा तस्करी के मास्टरमाइंड ने तीन डमी व्यक्ति के सहारे खेल किया। विजय नायर, अशोक डागा और अमित बोदरा को गिरफ्तार किया गया है। इन लोगों ने डमी स्वामित्व की कंपनियों के माध्यम से पान मसाल और तंबाकू निर्माण व व्यापार के लिए फर्में बनाई। जानबूझकर जीएसटी चोरी कर धोखाधड़ी में शामिल हुए। इसकी पुष्टि सहयोगियों के बयानों में हुई है।

एक हजार करोड़ के गुटखे की तस्करी का खेल

डीजीजीआई के अतिरिक्त महानिदेशक ने बताया, पकड़ी गई कंपनियां पान मसाला, गुटखा निर्माण, आपूर्ति और बिक्री करती हैं। टीम ने तीन अलग-अलग समूहों की जांच की। नौ महीने में 1 हजार करोड़ से ज्यादा के गुटखे की तस्करी की गई। एक पाकिस्तानी पासपोर्ट धारक भी तस्करी में लिप्त मिला, जिसे गिरफ्तार किया है। कार्रवाई शनिवार को जारी रही।

दो साल में किया 70 वाहनों का इस्तेमाल

देश में गुटखे की तस्करी में दो वर्ष के दौरान 70 से ज्यादा वाहनों का उपयोग किया। लॉकडाउन पीरियड में प्रेस ड्यूटी लिखकर जीएसटी की चोरी कर माल इधर से उधर किया।

30 मई से इन समूहों पर चल रही कार्रवाई

सेंट्रल जीएसटी टीम ने 30 मई से कार्रवाई शुरू की। टीम ने इंदौर के गुटखा कारोबारी गुरुनोमल माटा की फर्म पर छापा मारा। माटा के बेटे संजय को गिरफ्तार किया। संजय को रिमांड पर लेकर पूछताछ की। इसी से रैकेट का खुलासा हुआ। गुरुवार-शुक्रवार को एक समूह के मालिक के प्रेमनगर स्थित घर पर छापा मारा। शुक्रवार को सांवेर रोड स्थित एलोरा टोबैको फैक्ट्री पर कार्रवाई की।

नायर 16 तक रिमांड पर, दो को भेजा जेल

डीजीजीआई ने शनिवार को तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया। तीनों को जिला कोर्ट में न्यायिक मजिस्ट्रेट अरविंद सिंह गुर्जर के सामने पेश किया। यहां से विजय नायर को 16 जून तक पुलिस रिमांड पर सौंपा गया। अन्य दो आरोपी अशोक डागा और विजय बोथरा को 17 जून तक न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। विजय का संबंध अन्य मामलों से भी है, इसलिए रिमांड पर भेजा।

एमपी मे डीजीजीआई द्वारा चलाया गया था ऑपरेशन कर्क

गत वर्ष पान मसाला और गुटखे की 225 करोड़ की टैक्स चोरी के मामले में डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ जीएसटी इंटेलीजेंस (डीजीजीआई) भोपाल ने मुंबई से इंदौर के उद्योगपति किशोर वाधवानी को गिरफ्तार किया गया| ऑपरेशन 'कर्क' के तहत डीआरआई की मुंबई टीम ने वाधवानी को एक होटल से पकड़ा|सूत्रों के अनुसार इस मामले की जांच में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को भी शामिल किया गया था|डीजीजीआई द्वारा बताया गया कि मास्टरमाइंड वाधवानी द्वारा टैक्स चोरी करके कमाई गई काली कमाई को रियल एस्टेट ग्रुप, होटल और मीडिया ग्रुप में खपाया जा रहा था|

राजस्थान मे मिराज ग्रुप के मदन पालीवाल का सफेदपोशों मे बड़ा नाम

जिस प्रकार एमपी मे किशोर वाधवानी गुटखे,तंबाकू के धंधे की आड़ मे राज्य का सबसे बड़ा सफेदपोश बन चुका था,उसी प्रकार हमारे राजस्थान मे भी मिराज ग्रुप के मदन पालीवाल का नाम राज्य के सबसे बड़े सफेदपोश के रूप मे उभर के सामने आया है|काले धंधो को छुपाने के लिए इसने भी कई सामाजिक और धार्मिकों कार्यक्रमों की आड़ ले रखी है|प्रकाश चंद पुरोहित को इसके राइट हेंड के रूप मे जाना जाता है|

मिराज ग्रुप और इसके डिस्ट्रीब्यूटरों पर पिछले एक दशक मे आयकर और डीजीजीआई की कई बड़ी कार्यवाहियाँ|करोड़ो रुपयों की अघोषित आय,गुटखा,बेनामी संपातियाँ,नकद लेन-देन,जीएसटी चोरी उजागर|मदन पालीवाल को आदतन आर्थिक अपराधी कहना अतिशयोक्ति नहीं|

मिराज समूह के मदन पालीवाल को एक प्रकार से आदतन आर्थिक अपराधी ही कहा जाएगा क्यूंकी पिछले एक दशक मे आयकर विभाग और जीएसटी की डीजीजीआई शाखा द्वारा मिराज समूह और इसके डिस्ट्रीब्यूटरों पर कई छापे डाले जा चुके है|आइये आपको इसके कुछ छापो की विस्तार से जानकारी देते है|

प्रकरण-1:-वर्ष 2013 मे इन्कम टेक्स का छापा,130 करोड़ की अघोषित आय की सरेंडर|

वर्ष 2013 मे आयकर विभाग द्वारा मिराज समूह के नाथद्वारा,उदयपुर और मुंबई के ठिकानो पर छापे मारे गए जहां से करोड़ो रुपयों के नकद लेन-देन,बेनामी सम्पत्तियों और अघोषित निवेश संबंधी दस्तावेज़ विभाग के हाथ लगे|इस प्रकरण मे मिराज समूह के संस्थापक मदन पालीवाल के बयान दर्ज किए गए जिसके अनुसार उनके द्वारा अपने मुंबई कार्यालय से जब्त की गयी दो डायरियों मे लिखे करोड़ो के नकद लेन-देन होने की बात स्वीकार की गयी|इस रेड के बाद मदन पालीवाल द्वारा 130 करोड़ की अघोषित आय विभाग को सरेंडर की|

लेकिन सबसे बड़ी बात यह सामने आई कि करोड़ो रुपयों के लेन-देन और बेनामी सम्पत्तियों के पकड़े जाने के बावजूद आयकर विभाग द्वारा प्रवर्तन निदेशालय,भारत सरकार को इस मामले मे जानकारी नहीं दी गयी|यदि समय रहते विभाग ईडी को इस रेड की जानकारी उपलब्ध करवाता तो मनी लोंडरिंग के मामले मे मदन पालीवाल के विरुद्ध बड़ी कार्यवाही होना तय था|आयकर विभाग द्वारा मामले को दबा देने से उस समय की बेनामी संपत्तियाँ आज के समय मे कई गुना कीमत की हो गयी और आयकर विभाग की जांच से यह संपत्तियाँ नंबर एक मे घोषित हो गयी|इस रेड मे ग्रुप सीएमडी प्रकाश पुरोहित के आवास पर भी छापे मारे गए गए थे और वहाँ से भी महत्वपूर्ण दस्तावेज़ जब्त किए गए थे|

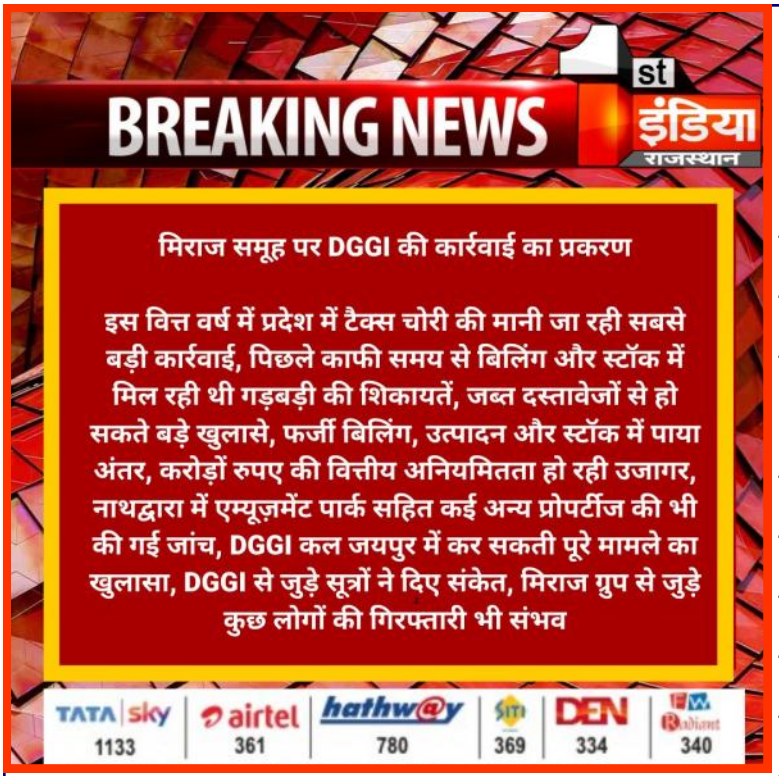

प्रकरण-2:-वर्ष 2020 मे जीएसटी की डीजीजीआई का छापा,5 करोड़ केश,25 करोड़ का गुटखा और 153 सम्पत्तियों के दस्तावेज़ जब्त

गत वर्ष मार्च महीने मे जीएसटी की डीजीजीआई शाखा द्वारा मिराज समूह के विभिन्न ठिकानो पर रेड डाली गयी लेकिन संभवतया रेड की खबर लीक हो जाने से यह रेड असफल होगयी,लेकिन छापे के दौरान डीजीजीआई को 5 करोड़ अघोषित नकद राशि,25 करोड़ का बिना हिसाब किताब का तैयार गुटखा और 153 सम्पत्तियों के कागजात मिले जिसे जांच के लिए आयकर विभाग को सौंप दिये गए|आयकर विभाग ने इस बारे मे क्या कार्यवाही की यह कभी सामने नहीं आ सका और जांच के नाम पर फ़ाईलों मे दफन हो कर रह गया|

प्रकरण-3:-10 मार्च 2021 को जोधपुर डीजीजीआई की रेड,163 करोड़ की जीएसटी चोरी उजागर

केन्द्रीय सेवा कर विभाग द्वारा 10 मार्च 2021 को विभाग की जोधपुर इकाई मे मिराज ग्रुप के खिलाफ 163 करोड़ की जीएसटी चोरी का एक और मामला दर्ज करवाया गया था जो कि अभी कोर्ट मे विचारधीन है|इस मामले मे भी मिराज ग्रुप के फ़ाउन्डर मदन पालीवाल और ग्रुप के सीएमडी प्रकाश चंद पुरोहित आरोपी है|

प्रकरण-4:-गत वर्ष मिराज गुटखे,तंबाकू के डिस्ट्रीब्यूटर केटी एंटरप्राईजेज़ पर छापा,करोड़ो की जीएसटी चोरी

गत वर्ष मिराज ग्रुप के अजमेर के गुटखा डिस्ट्रीब्यूटर केटी इंटरप्राइजेज के संस्थानों पर जीएसटी इंटेलिजेंस की टीम ने बड़ी कार्यवाही अंजाम दी|लगभग तीन अलग-अलग स्थानों पर हुई एक साथ कार्यवाही में जीएसटी के पिछले 6 महीने के हिसाब का गहराई से लेखा जोखा जांचा गया|इस दौरान करोड़ों रुपए के जीएसटी गड़बड़ का खुलासा किया गया|केटी इंटरप्राइजेज मिराज ग्रुप का बहुत बड़ा डिस्ट्रीब्यूटर के रूप में माना जाता है|

Finally GST intelligence acts, raids Miraj gutka Ajmer distributor!

Kaushal Jain

Ajmer. In one of the biggest actions by the DGGI, state's one of the biggest distributor for Gutka and Miraj products - KT Enterprises in Ajmer - was raided in the wee hours of Thursday. **The raid on the Miraj gutkha distributor by DGGI began at 4 am on Thursday morning under the supervision of ADG, GST Rajendra Kumar, involving a large number of officials that arrived at the establishment's offices in more than three dozen vehicles.**

Over the past six months, the GST intelligence had been keeping a close watch on the big distributors of Miraj gutka and other brands, for which the DGGI had received intel that Miraj Gutka was being clandestinely sold at 5 to 20 times its actual price especially during the lockdown despite ban by the state government.

Thus, after six month long study period when the DGGI officials learnt the manner in which the establishment operated as also about its revenue stream, a plan to raid the establishments was formulated. At 4 am, the officials barged into the establishments, thus not giving anyone a chance to flee.

Sources reveal that the officials have uncovered GST theft worth crores of rupees while recovering a hundred bill and receipts book along with 20 ledger account books. Plastic bags containing paper slips have also been found that denote large scale unaccounted gutka business. **Sources further reveal that prima facie the sales figure recovered from unaccounted bills point at exceeding the actual purchase by KT enterprises of Miraj Gutka and others brands and a detailed study of the books and chits will put light on the actual range of GST theft.**

Prior to Ajmer raid, GST intelligence had raided almost three dozen locations or establishments of Miraj group including Nathdwara, Udaipur and Ahmedabad and it was a huge success. Apart from a few crores undisclosed income, 152 land registries were also recovered from Miraj premises and now this matter is likely to be taken up by the investigation wing of Income Tax department to examine the 'benami angle' in these land deals. **According to sources, inspired with the success of Ajmer raid, a few more major raids are likely to take place on various Mirage and other Gutka distributors in coming days.**

Under supervision of ADG, GST Rajendra Kumar, DGGI began the raid at 4 am on Thursday morning.

Sunil Kumar Singh
@SunilKu63236960
I would congratulate ADG (Intelligence) GST Mr Rajendra Kumar and his team to successfully carry and execute a much awaited raid on an alleged multi crore tax evasion of Miraj Group's Ajmer Gutka distributor M/s Kalumal Thawardas

प्रकरण-5:-इसी वर्ष अक्टूबर माह मे डीजीजीआई का मिराज समूह के कई ठिकानो पर छापा,869 करोड़ की जीएसटी चोरी,2 डमी व्यक्ति गिरफ्तार,4 सम्मन के बावजूद ग्रुप के कर्ता-धर्ता हाजिर नहीं|

वस्तु एवं सेवाकर आसूचना महानिदेशालय,जयपुर को एक सूचना मिली कि मैसर्स मोंटेज पैकेजिंग सेल्स प्रा.लि द्वारा मैसर्स मिराज प्रोडक्ट्स प्रा.लि. नाथद्वारा को बिना बिल के पैकेजिंग मेटेरियल की सप्लाई की जाती है और इसके लिए मैसर्स मोंटेज पैकेजिंग सेल्स प्रा.लि.,उसी रूट की कोई भी फर्जी फर्म(मैसर्स मोंटेज पैकेजिंग सेल्स प्रा.लि., ने अहमदाबाद और सूरत मे कुछ फर्जी फर्म खोल रखी थी)के नाम से बिल काट देता है और माल मिराज को सप्लाई कर देता है,ताकि वह रास्ते मे माल ट्रांसपोर्ट के दौरान जीएसटी विभाग से बच सके|

कर चोरी की इस सूचना पर विभाग द्वारा उक्त दोनों कंपनियों के खिलाफ जांच शुरू की और दिनांक 22/10/2021 को उक्त दोनों कंपनियों के तथा ट्रांसपोर्टरों के यहा एक साथ तलाशी कार्यवाही की|तलाशी के दौरान दिनांक 22-24 अक्टूबर को मैसर्स मिराज प्रोडक्ट्स प्रा.लि. नाथद्वारा जे यहा छापा मारा गया तो बिना बिल के पेकिंग मेटेरियल(जिसमे मिराज ब्रांड तंबाकू के पेकिंग रेपर थे)से भरा हुआ एक ट्रक पकड़ा और उसमे रखे माल को जब्त किया गया,जिसके साथ मैसर्स श्री बालाजी इंटरप्राईजेज़,अहमदाबाद का बिल लगा हुआ था,किन्तु यह माल अहमदाबाद ना जाकर नाथद्वारा मे ही मैसर्स मिराज प्रोडक्ट्स प्रा.लि. नाथद्वारा की फैक्ट्री 22/10/2021 को खाली हो रहा था|तलाशी के दौरान इसी प्रकार पूर्व मे किए गए माल ट्रांसपोर्ट से संबन्धित दस्तावेज़ मिले|इस ट्रक पर जो मेटेरियल आया उस पर 504 करोड़ का टेक्स बनता है|इसके अलावा तलाशी के दौरान श्री विनय कान्त आमेटा के दिशा-निर्देश पर काम करने वाले एक कर्मचारी के मोबाइल मे अक्टूबर महीने मे जो पेकिंग मेटेरियल मैसर्स मिराज प्रोडक्ट्स प्रा.लि. नाथद्वारा को बिना बिल प्राप्त होने के सबूत मिले उस पर 34.57 करोड़ का टेक्स बनता है|इस प्रकार कंपनी द्वारा अक्टूबर 2019 से अब तक मैसर्स मोंटेज से बिना बिल के लगभग 77.10 करोड़ का पैकिंग मेटेरियल खरीद कर इसका उपयोग कर कुल 245.19 करोड़ ट्रांजेक्शन मूल्य का मिराज ब्रांड निर्मित तंबाकू बिना बिल के मार्केट मे सप्लाई कर 869 करोड़ की इनपुट टेक्स क्रेडिट गलत रूप से प्राप्त की|

AAKAAR BUILDESTATE PRIVATE LIMITED	Director	04 July 2013
MIRAJ TRADECOM PRIVATE LIMITED	Director	09 December 2009
MIRAJ HOTELS PRIVATE LIMITED	Director	18 July 2014
VERMONT RESORTS PRIVATE LIMITED	Director	30 July 2013
NOIDA HEALTH CARE TRAINING ANDPLACEMENTS PRIVATE LIMITED	Director	19 June 2013
MIRAJ GOBARDHAN LLP	Individual Partner	01 April 2021
HY-DECOR TILES PRIVATE LIMITED	Director	21 December 2010
MIRAJ MULTISERVICES LIMITED	Director	21 April 2008
PEARL REALMART PRIVATE LIMITED	Director	04 July 2013
ANOLI HOLDINGS PRIVATE LIMITED	Director	22 September 2014
MIRAJ BUSINESS DEVELOPMENT PRIVATELIMITED	Director	09 December 2009

आखिर कितनी कंपनियों मे किया गया है निवेश?कितनी नियमित और कितनी शैल?

उपलब्ध जानकारी के अनुसार मिराज समूह की 10-20 नहीं वरन दर्जनों कंपनियों का पता चला है|यह वह कंपनियाँ है जो कि आरओसी/कॉर्पोरेट मंत्रालय के तहत लिमिटेड और प्राईवेट लिमिटेड कंपनियों के तहत रजिस्टर्ड है,पार्टनरशिप और प्रोप्राइटरशिप कंपनियों का डेटा सार्वजनिक नहीं होने से उनका पता केवल इन्कम टेक्स विभाग और अन्य जांच एजेंसियो द्वारा ही लगाया जा सकता है|हमारे पास उपलब्ध जानकारियों को जांच एजेंसियों को उपलब्ध करवा दिया जाएगा|

किन किन नामो से है निवेश?

उपलब्ध जानकारी के अनुसार मिराज समूह द्वारा कई नामो से कंपनियाँ खोली गयी है|उनमे से अधिकांश मदन पालीवाल,सुशीला देवी पालीवाल,मंत्रराज पालीवाल,प्रकाश चंद पुरोहित,अमित शर्मा,सुनील उपाध्याय,कोशल्या जोशी, के नाम से है इसके अलावा करीब 5 दर्जन और नाम सामने आए है|जिनके नाम जांच एजेंसियों को उपलब्ध करवा दिये जाएंगे|

कई सेक्टर मे निवेश

इसके साथ इस बात मे भी कोई अतिश्योक्ति नहीं है कि मिराज समूह द्वारा अपने काले धन का निवेश हवाला,शेल कंपनियो और अन्य दो नंबर के माध्यमों से अन्य सेक्टरों मे नहीं किया गया हो, गौरतलब है कि मिराज समूह द्वारा दर्जनों कंपनियों के माध्यम से अल्प समय मे ही तंबाकू,पाईप्स,सिनेमा,एफ़एमसीजी,रियल स्टेट,इंटरटेनमेंट,प्रिंटिंग,पेकेजिंग,रीटेल बिजनेस,होस्पिटेलिटी सहित विभिन्न सेक्टर मे ताबड़तोड़ निवेश किए गए है|

ताजा मामले मे दो गिरफ्तार,निचले कोर्ट मे दोनों की जमानते खारिज साथ ही माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने भी जमानत देने से किया इंकार|

जयपुर मेट्रो-द्वितीय की एडीजे कोर्ट ने मिराज ग्रुप से जुड़े 869 करोड रुपए की जीएसटी चोरी मामले में मोंटेग पैकेजिंग के निदेशक धनंजय सिंह को जमानत देने से इंकार करते हुए उसकी अर्जी खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि आरोपी कर चोरी करने में मिलीभगत करने का आरोप है, ऐसे में उसे जमानत नहीं दे सकते|इसी के साथ इन अभियुक्तों मे से एक विनयकान्त आमेटा द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय मे जमानत याचिका प्रस्तुत की गयी थी|

समाचार पत्रों मे प्रकाशित खबरों के अनुसार, माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के समक्ष मिराज समूह के डाइरेक्टर श्री विनयकान्त आमेटा की जमानत याचिका दाखिल करते हुए कहा गया कि प्रार्थी की और से प्रोटेस्ट के तौर पर 60 करोड़ जमा करवा दिये गए है और श्री विनयकान्त आमेटा कंपनी के वेतनभोगी कर्मचारी है और कर चोरी से उसे कोई फायदा नहीं होने वाला था,इसलिए उसे जमानत दी जाए| प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जमानत याचिका के कथन से सिद्ध होता है कि करोड़ो रुपयों की जीएसटी चोरी के लाभार्थी कोई और है|

माननीय न्यायालय द्वारा इस जमानत याचिका को खारिज करते हुए कहा गया जब उसने कर चोरी की ही नहीं है तो प्रोटेस्ट के तौर पर 60 करोड़ क्यूँ जमा करवाए गए?चूंकि यह आर्थिक अपराध से जुड़ा मामला है जो देश की अर्थव्यवस्था को खतरा है अतः जमानत खारिज की जाती है|

हाईकोर्ट का सवाल

जब कर चोरी ही नहीं की थी तो 60 करोड़ रुपए क्यों जमा कराए

जीएसटी चोरी के आरोपी कंपनी निदेशक की जमानत अर्जी खारिज

लीगल रिपोर्टर | जयपुर

हाईकोर्ट ने करीब 869 करोड रुपए की जीएसटी चोरी के मामले में मिराज प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक विनयकांत आमेटा की जमानत अर्जी मंगलवार को खारिज कर दी। जस्टिस एनएस ढड्ढा ने जमानत अर्जी खारिज करते हुए कहा कि मामला आर्थिक अपराध का है और यह देश की अर्थव्यवस्था के लिए भी खतरा है।

अदालत ने कहा कि मामले में प्रार्थी की ओर से कहा है कि उसने प्रोटेस्ट के तौर पर 60 करोड़ रुपए जमा करा दिए थे तो ऐसे में कोर्ट की राय है कि जब उसने कर की चोरी ही नहीं की तो फिर 60 करोड़ रुपए प्रोटेस्ट के तौर पर क्यों जमा कराए। गौरतलब है कि पिछले दिनों ही अदालत ने दोनों पक्षों की बहस पूरी होने के बाद फैसला बाद में देना तय किया था। आरोपी ने जमानत अर्जी में कहा था कि विभाग ने फैक्ट्री में उत्पाद के खाली पडे रैपर के आधार पर जीएसटी की गणना कर 869 करोड रुपए की कर चोरी बताई। जबकि कर की गणना उत्पाद के बिक्री होने के बाद होनी चाहिए थी। वह तो प्रार्थी कंपनी में वेतनभोगी कर्मचारी है और कर चोरी से उसे कोई फायदा नहीं होने वाला था, इसलिए उसे जमानत दी जाए। इसके विरोध में डीजीजीआई के अधिवक्ता किंशुक जैन ने कहा कि विभाग ने आरोपी को बडी कर चोरी करते पकड़ा है। मौजूद साक्ष्यों से भी साबित है कि उसने करोडों रुपए की जीएसटी चोरी की है। इसलिए आरोपी को जमानत पर रिहा नहीं कर सकते। अदालत ने विभाग की दलीलों से सहमत होकर आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी। दरअसल कर चोरी के मामले में डीजीजीआई ने 24 अक्टूबर को आरोपी आमेटा को गिरफ्तार किया था और तब से वह जेल में ही है।

Miraj GST Case: HC rejects Vinay's bail

Om Prakash Sharma

Jaipur: The bail plea of Director of Miraj Products Pvt Ltd, Vinay Kant Ameta was rejected on Tuesday by the single bench of Judge Narendra Singh Dhadda in Raj High Court stating serious allegations and ongoing investigation of DGGI.

Notably, past Friday, HC had reserved decision after hearing the arguments of both the parties.

In the bail plea, on behalf of the petitioner accused Vinay Kant Ameta, it was said that the GST Department has calculated the GST based on the empty wrappers of product in the factory and declared tax evasion of Rs 869 cr whereas tax should have been calculated after product is sold. Petitioner claimed to be a salaried employee in company & stressed that he was not going to get any benefit from tax. He states that he is ready to accept conditions of court, hence should be given the bail.

काले धन पर धर्म और राजनीति का चोला!!!

जैसा कि अमूमन होता आया है कि अधिकांश सफेदपोशों द्वारा दिखावे के लिए सामाजिक कार्य किए जाते है और उनका स्थानीय राजनीति मे भी गहरा हस्तक्षेप होता है|इसी प्रकार मदन पालीवाल ने भी अपने काले धन को धर्म और राजनीति का चोला पहना रखा है|हाल ही मे मिराज समूह द्वारा नाथद्वारा मे भगवान शिव की 151 फीट की ऊंची प्रतिमा स्थापित की है साथ ही कई एकड़ जमीन मे थीम पार्क भी विकसित किया है|इसी तरह मिराज समूह द्वारा देश विदेश मे मुरारी बापू के द्वारा रामकथा करवायी जाती है,जिसका करोड़ो का खर्चा मिराज समूह द्वारा वहन किया जाता है|इतना ही नहीं मदन पालीवाल का स्थानीय और राज्य/केंदीय स्तर पर राजनैतिक रसूखात भी समय समय पर सबके सामने आते रहे है|अब जब मिराज समूह और मदन पालीवाल की चोरी पकड़ी जा रही है तो उनके द्वारा किए जा रहे सभी धार्मिक कार्य जांच के दायरे मे आ सकते है|

मुख्य कर्ता-धर्ता गायब,क्या देश मे है या अन्य आर्थिक अपराधियों विजय माल्या,नीरव मोदी,मेहुल चोकसे की तरह हो जाएंगे देश छोड़कर फरार?

डीजीजीआई द्वारा इस पूरे मामले मे कंपनी के फाउंडर श्री मदन पालीवाल और ग्रुप के सीएमडी श्री प्रकाश चंद पुरोहित को मुख्य आरोपी माना गया है|डीजीजीआई इन दोनों को 4 बार सम्मन भी जारी कर चुका है|लेकिन इसके बावजूद दोनों व्यक्ति विभाग के समक्ष उपस्थित नहीं हो रहे है| माननीय उच्च न्यायालय द्वारा विनयकान्त आमेटा की जमानत याचिका को खारिज करते समय दिये गए तथ्यों से स्पष्ट होता है कि श्री आमेटा इस खेल मे महज एक मोहरे है कर चोरी के असली कर्ता-धर्ता कंपनी के फाउंडर श्री मदन पालीवाल और ग्रुप के सीएमडी श्री प्रकाश चंद पुरोहित है जो इस मामले मे 4 सम्मन जारी होने के बावजूद हाजिर नहीं हो रहे है| अंदेशा है कि दोनों आरोपी नीरव मोदी, मेहुल चोकसे जैसे अन्य अभियुक्तों की तर्ज पर देश छोड़कर अन्यंत्र भागने की फिराक मे है या अपनी गिरफ्तारी के भय से देश छोड़ चुके है|

क्या सीबीआई,इन्कम टेक्स,डीजीजीआई और ईडी की संयुक्त टीम चलाएगी मिराज ग्रुप के काले कारनामो के विरुद्ध ऑपरेशन कर्क?

जैसा कि इस रिपोर्ट मे खुलासा किया गया है कि मिराज समूह पर इन्कम टेक्स,डीजीजीआई के कई बार छापे पड़ चुके है|

लेकिन मिराज समूह की विभाग के अधिकारियों से साँठ-गांठ के चलते और विभिन्न जांच एजेंसियों मे आपसी सामंजस्य की वजह से आज तक प्रभावी कार्यवाही नहीं हो पायी है और इसी का फायदा उठा कर मिराज समूह और इसके कर्ता-धर्ताओ द्वारा मामूली सा टेक्स देकर सारा मामला रफा-दफा करवा दिया जाता है|

चूंकि यह मामला संगठित आर्थिक अपराध(पेकिंग कंपनी,उत्पादनकर्ता,डिस्ट्रीब्यूटरो के आपसी गठजोड़) से संबन्धित है अतः इस मामले मे सीबीआई का हस्तक्षेप आवश्यक है|इसी के साथ चूंकि गुटखे के धंधे मे अधिकांश पैसो का आदान प्रदान हवाला,शेल कंपनियो और अन्य दो नंबर के माध्यमों से किया जाता है अतः इस मामले को मनी लोंडरींग का मानते हुए,प्रवर्तन निदेशालय की भी कार्यवाही आवश्यक प्रतीत होती है|

ऐसे मे चाहिए कि केंद्रीय सरकार द्वारा सीबीआई,इन्कम टेक्स,डीजीजीआई और ईडी की संयुक्त टीम बनाकर मिराज ग्रुप के काले कारनामो के विरुद्ध ऑपरेशन कर्क चलाये|

जवाब मांगते सवाल?

1. आखिर मिराज ग्रुप द्वारा कितने समय से जीएसटी की चोरी की जा रही है?क्या आसूचना विभाग इस पूरे मामले की शुरू से जांच कर रहा है?
2. मिराज ग्रुप द्वारा जिस माल को जीएसटी चोरी कर,दो नंबर मे बनाया जा रहा था क्या उस माल को 2 नंबर मे नहीं बेचा जा रहा होगा?
3. कंपनी के कौन कौन,कहाँ-कहाँ,कितने डिस्ट्रीब्यूटर है?
4. मैसर्स मोंटेज पैकेजिंग सेल्स प्रा.लि के डायरेक्टर श्री धनंजय सिंह द्वारा कितनी फर्जी कंपनियाँ खोलकर जीएसटी की चोरी की जा रही है?
5. आखिर अब तक इस मामले के कर्ताधर्ता मिराज ग्रुप के फ़ाउन्डर मदन पालीवाल और ग्रुप के सीएमडी प्रकाश चंद पुरोहित विभाग के समक्ष हाजिर क्यूँ नहीं हुए है?
6. इन दोनों को गिरफ्तारी से बचाने के लिए के लिए प्रयास करने वाला रसुखदार राजनेता कौन है?

7. क्या यह बात सही है कि इन दोनों को गिरफ्तारी से बचाने के लिए के लिए 100 करोड़ की डील की जा रही है?

8. मिराज ग्रुप द्वारा अब तक कितनी बेनामी संपत्तियों और निवेशों मे इस काले धन को खपाया गया है?

9. आखिर क्यूँ प्रवर्तन निदेशालय और सीबीआई इस मामले मे मूक दर्शक बनी हुई है?

10. मिराज ग्रुप द्वारा अब तक सामाजिक और धार्मिक कार्यों पर कितना धन खर्च किया गया है?

11. सरकार द्वारा ग्रुप द्वारा करवाए गए/करवाए जा रहे विभिन्न विकास कार्यों के लिए कितनी जमीन,संसाधन और रियायतें दी गयी है?

12. क्या भारत सरकार सीएजी की विशेष जांच कमिटी द्वारा ग्रुप द्वारा विभिन्न शहरो मे करवाए गए/करवाए जा रहे विभिन्न विकास/सामाजिक/धार्मिक कार्यों की ऑडिट करवाएगी?

13. मिराज समूह द्वारा किन किन नामो से और कितनी कंपनियों के माध्यम से काले धन का निवेश किया गया है?

14. क्या कंपनी के दोनों कर्ता-धर्ता देश मे ही है या अन्य आर्थिक अपराधियों की तरह देश छोड़ कर भाग गए है?

15. देश छोड़ कर फरार होने की स्थिति मे क्या डीजीजीआई इनके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी करवाएगा?

16. क्या इन दोनों को गिरफ्तार नहीं कर डीजीजीआई के अधिकारी अपने पद की गरिमा के विरुद्ध आचरण नहीं कर रहे है?

17. क्या अब इन दोनों आरोपियों को गिरफ्तार करवाने के लिए जनता को सड़कों पर आना पड़ेगा?

127 करोड़ की कर चोरी में वाणिज्यकर के 4 अफसर निलंबित

नई दिल्ली। नोएडा की एक फर्म के साथ मिलीभगत कर 127 करोड़ रुपये की कर चोरी के मामले में योगी सरकार ने कड़ा कदम उठाते हुए वाणिज्य कर विभाग के चार अफसरों को निलंबित कर दिया है। ये चारों अधिकारी विशेष अनुसंधान शाखा (एसआईबी), नोएडा में तैनात थे। जिन अधिकारियों को निलंबित किया गया है, उनमें एडिशनल कमिश्नर ग्रेड-2 धर्मेंद्र सिंह, ज्वाइंट कमिश्नर दिनेश दुबे, डिप्टी

कमिश्नर मिथिलेश मिश्रा और असिस्टेंट कमिश्नर सोनिया श्रीवास्तव शामिल हैं। विभाग के अपर मुख्य सचिव संजीव मित्तल ने निलंबन की पुष्टि की है। मामला जनवरी 2020 का है। शासन को यह शिकायत मिली थी कि नोएडा स्थित तंबाकू की एक कंपनी ने बड़े पैमाने पर कर चोरी की है। इस आधार पर शासन ने मामले की प्रारंभिक जांच के निर्देश दिए थे। नोएडा के तत्कालीन एडिशनल कमिश्नर सीबी सिंह ने जांच कर अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट शासन को सौंप दी थी। इसमें फर्म द्वारा की गई कर चोरी के मामले में एसआईबी में तैनात इन सभी अधिकारियों की लिप्तता पाई गई है। इस रिपोर्ट के आधार पर शासन ने बृहस्पतिवार को सभी चारों अधिकारियों को निलंबित कर दिया। इनमें से तीन अधिकारी तो अभी भी नोएडा में ही तैनात हैं। वहीं, डिप्टी कमिश्नर मिथिलेश मिश्रा का सहारनपुर तबादला हो चुका है।

मदन पालीवाल द्वारा राजस्थान के एक बड़े बिल्डर के साथ राजस्थान और महाराष्ट्र मे किए गए करोड़ो रुपयों के काले धन के निवेश का खुलासा अगले अंको मे जारी.....